उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा विभाग

अनुभाग 1

अधिसूचना

22 जुलाई 1992 ई०

सं० 1648/15-1-1992—33(18)-92—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयोग करके राज्यपाल प्रान्तीयकृत शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत शिक्षण संस्था (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन) नियमावली, 1992

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत शिक्षण संस्था (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन) नियमावली 1992 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद—

(क) संस्था के प्रान्तीयकरण के समय सृजित पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए शसक्त किया गया हो।

(ख) किसी प्रान्तीयकृत संस्था के सम्बन्ध में "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो शिक्षण संस्था के प्रान्तीयकरण के ठीक पूर्व प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक या प्रवक्ता या एल. टी. ग्रेड अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था और जिसे ऐसी संस्था के प्रान्तीयकरण के दिनांक को नव सृजित पद के प्रति अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी और जो तब से निरन्तर राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा है।

(ग) "प्रान्तीयकृत संस्था" का तात्पर्य ऐसी अशासकीय शिक्षण संस्था से है जो राज्य सरकार द्वारा ग्रहण की गयी हो।

(घ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनायी गयी नियमावली से है और जहाँ ऐसी नियमवली न हो वहाँ सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों से है।

3—आमेलन की प्रक्रिया—(1) तत्समयप्रवृत्त किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सरकार के अधीन प्रान्तीयकृत संस्थाओं के कर्मचारियों का यथा स्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक या प्रवक्ता या एल. टी. ग्रेड के अध्यापक के पद पर सेवा में आमेलन और सम्बन्धित सेवा में उनकी ज्येष्ठता यहाँ नीचे दिये गये उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायगी :—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी प्रान्तीयकरण के समय पद के लिए नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित शैक्षिक अर्हतायें रखने वाले कर्मचारियो की एक पात्रता सूची तैयार करेगा जिसमें संस्था के प्रान्तीयकरण के दिनांक से यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में उनके नाम रखे जायेंगे और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये गये हों तो अधिक आयु वाले व्यक्ति को सूची में ऊपर रखा जायगा।

(दो) चरित्र पंजियों के साथ-साथ सूची और कर्मचारियों के ऐसे अन्य अभिलेख, जो सरकारी सेवा में

स्थायी आमेलन के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए उचित समझे जायं, समिति के समक्ष रखे जायेंगे। समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) प्रधानाचार्य के पद के लिए

(1) यथा स्थिति प्रमुख सचिव और / या सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
(2) संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग।
(3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
(4) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश

(ख) प्रधान अध्यापक पद के लिए—

(1) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
(2) अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
(3) अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), उत्तर प्रदेश।

(ग) प्रवक्ता के पद के लिए—

(1) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
(2) अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
(3) अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), उत्तर प्रदेश।

(घ) एल. टी. ग्रेड के अध्यापक पद के लिए—

(1) संभागीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(2) संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।
(3) सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।

(तीन) समिति ऐसे कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगी जो आमेलन के लिए उपयुक्त पाये जायं और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। सूची में नाम उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में उपर्युक्त खन्ड (एक) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(चार) नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त पाये गये कर्मचारियों के आमेलन के आदेश उसी क्रम में निर्गत करेगा जिस क्रम में उनके नाम उपर्युक्त खन्ड (तीन) में निर्दिष्ट सूची में रखे गये हों।

(पाँच) कोई कर्मचारी, जिसके सम्बन्ध में आदेश ऊपर खन्ड (चार) के अधीन जारी किये जायं, प्रान्तीयकरण के दिनांक से मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायगा और भर्ती के वर्ष विशेष में पारस्परिक ज्येष्ठता के लिए उ० प्र० सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार या उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 या उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 या उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 या उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायगा।

आज्ञा से,
कमैल सिंह,
प्रमुख सचिव।